25000 25000

[illegible]

विक्रय विलेख

[illegible] मूल्य	: [illegible]
[illegible]	: [illegible]
स्टाम्प शुल्क	: [illegible]
[illegible]	: [illegible]

यह विक्रय विलेख श्री [illegible] पुत्र [illegible] निवासी-ग्राम [illegible] [illegible] [illegible], मोहल्ला-[illegible], [illegible] व जिला-

भारतीय गैर न्यायिक

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0... 783359

अधिकृत कोषागार से प्राप्त

14 SEP 2014

सहा. कोषाधिकारी / कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

-2-

लखनऊ, जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् मोती लाल पुत्र श्री शिव बख्श कोरी, निवासी–ग्राम मिर्जापुर सिरौली, पोस्ट–..., जिला फतेहपुर, उ0प्र0, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

1) कि विक्रेता भूमि खसरा नं0 790, 220, 221 कुल रकबा 1.57 हेक्टेयर, का आधा भाग, एवं खसरा संख्या–1558 व 1596 रकबा 0.305 हेक्टेयर, इस प्रकार सम्पूर्ण रकबा–1.20 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर

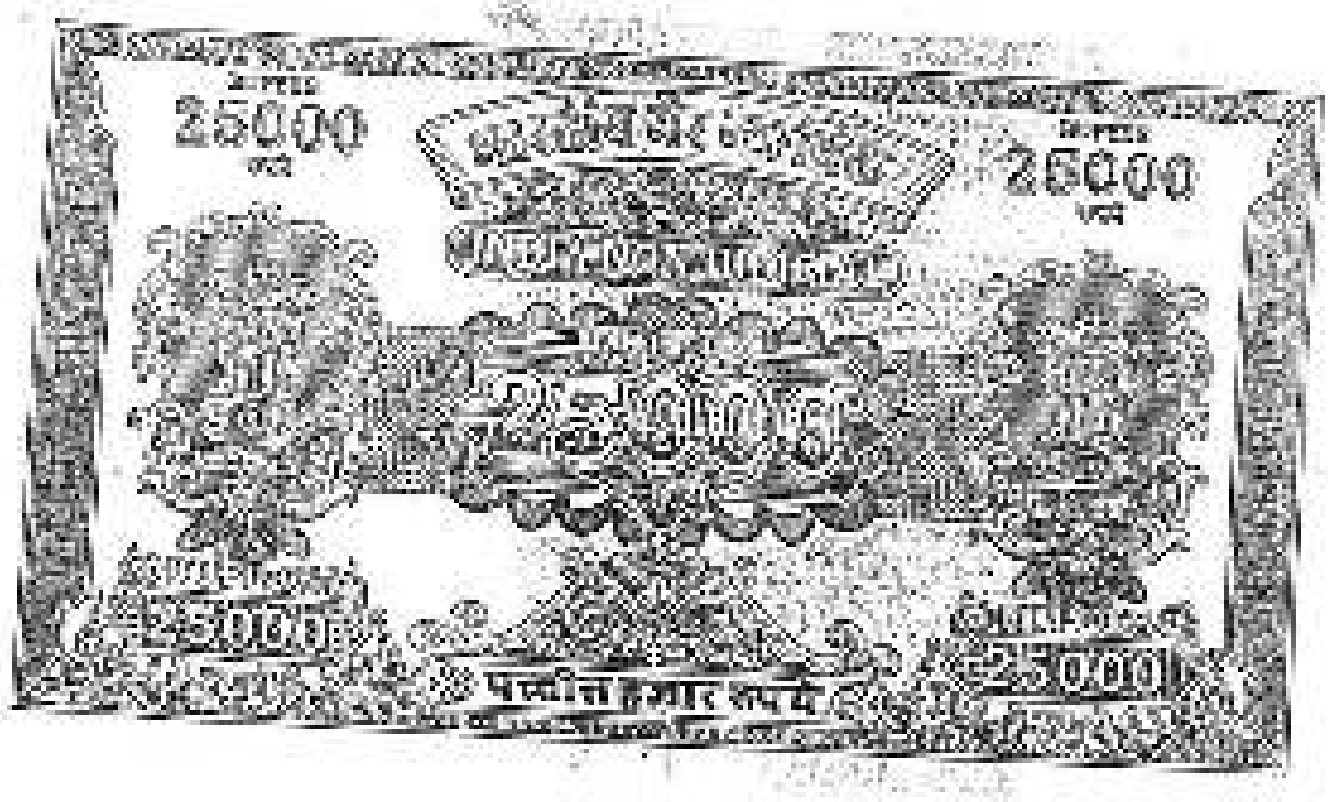

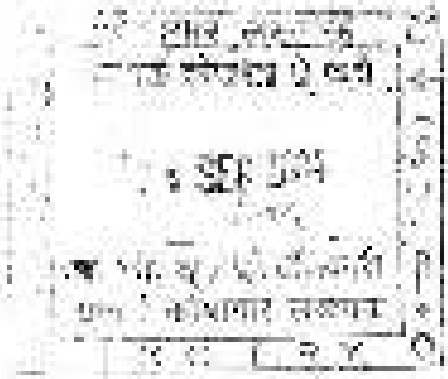

25000

पच्चीस हजार रुपये

25000

0390 795[illegible]

3 -

[illegible], परगना - बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त [illegible] खतौनी क्रम संख्या 42 व 44 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अंकन दर्ज राजस्व अभिलेखों में है तथा [illegible] विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं स्वच्छ व साफ है तथा विक्रेता ने कहीं इस विक्रय के पूर्व

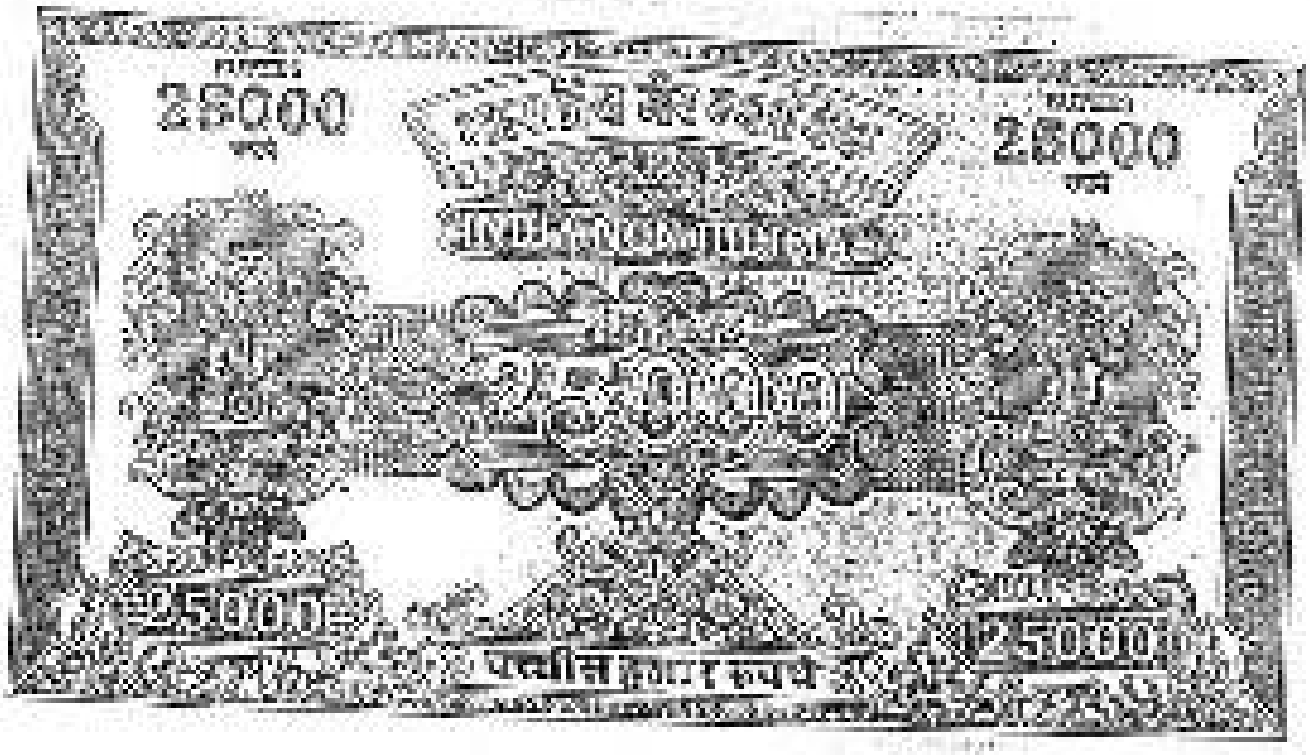

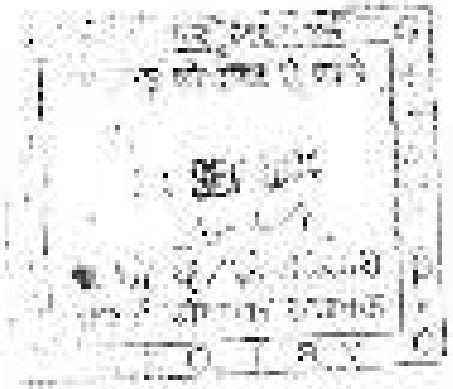

03SD 785261

- 4 -

नहीं कर, दिया, गिरवी या अनुबंधित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूखण्ड या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अंतर्गत विवाद का विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उसे विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त शर्तों के फलस्वरूप रु0 21,30,000/- (इक्कीस लाख तीस हजार रुपया), के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर

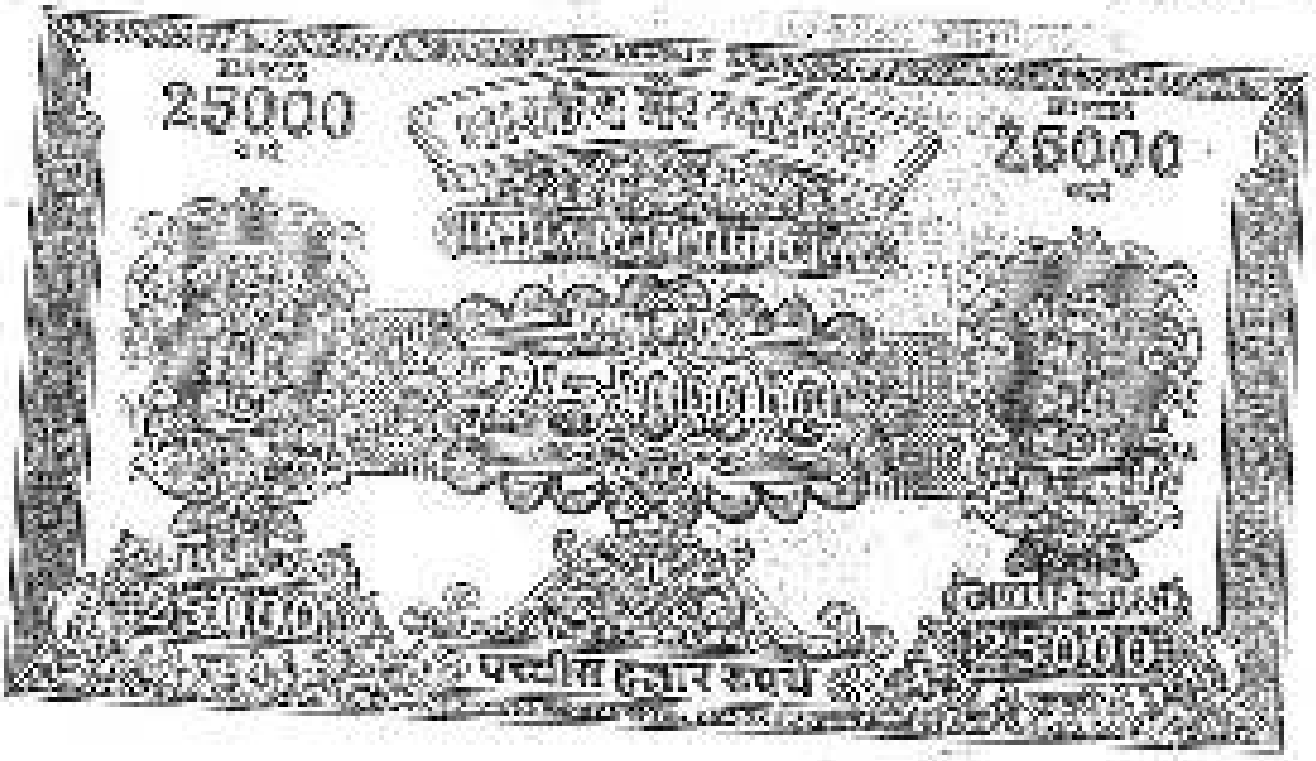

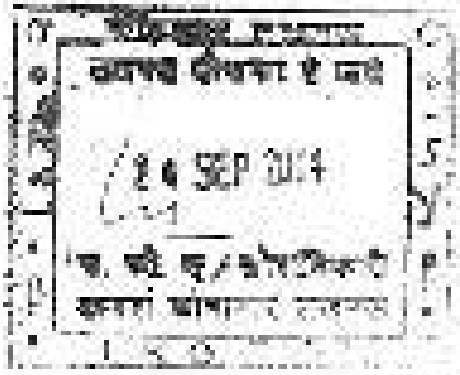

/152

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

24 SEP 2014

लिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार अतः विक्रेता और क्रेता के मध्य उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विलेख विक्रय के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को क्रय बेच दिया है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को दखली करा दिया गया है। अब उक्त जायदाद पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व व कब्जा अधिकार के साथ सुविधा व उपभोग के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने

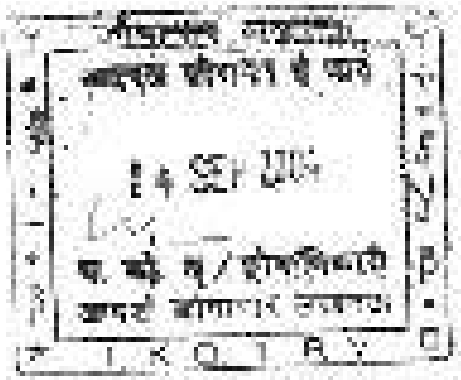

25000

पच्चीस हजार रुपये

14 SEP 2006
उप निबंधक

लगातार मालिकाना व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं कर सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान स्थानापन्न इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, स्थानापन्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर

25000 रुपये

25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

0003 73535

कोषागार लखनऊ

14 SEP

सहा. कोषाधिकारी/कोषाधिकारी

7

को इस विलेख में विक्रेता एवं उसके उत्तराधिकारी कभी व बाधा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज करा कर अभिलेखों में अपने नाम करा सकता है तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विलेख विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसकी विक्रेता भुगतान व वहन करेगी, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

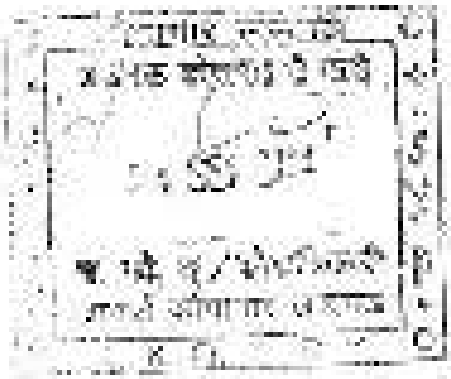

25000

25000

25000

25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

BHD 789912

- 8 -

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर मुस्तकम अर्बन ग्रेटर क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 1.351 हेक्टेयर की मालियत रू0 14,86,100/- होती है। तथा दो नलकूप के हिसाब मूल्य रू0 60,000/- है, इस प्रकार कुल मालियत रू0 15,46,100/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 2,13,600/- अंकन स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के अलावा के लिए प्रयोग की

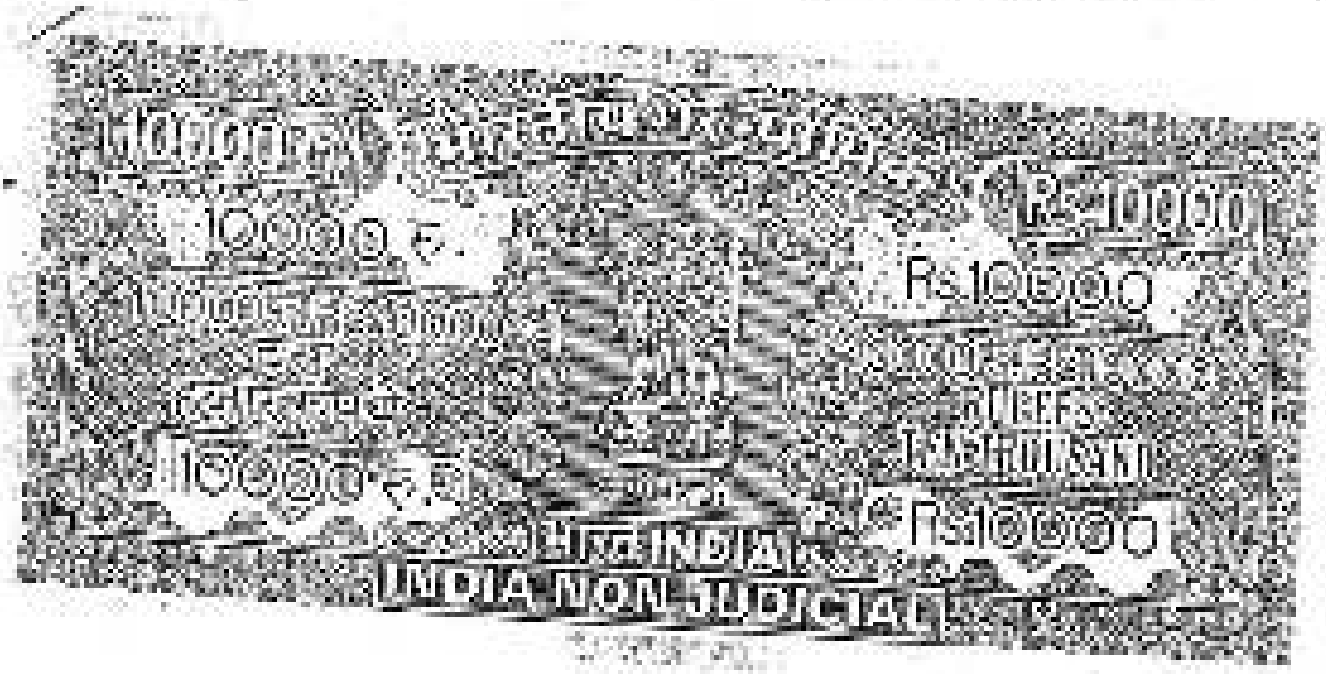

10000 रु.

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Rs.10000

TEN THOUSAND RUPEES

05AA 681965

जा रहा है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, हाईवे व नगरपालिका मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि [illegible] से [illegible] किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विलेख विक्रेता के निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

1000 Rs.

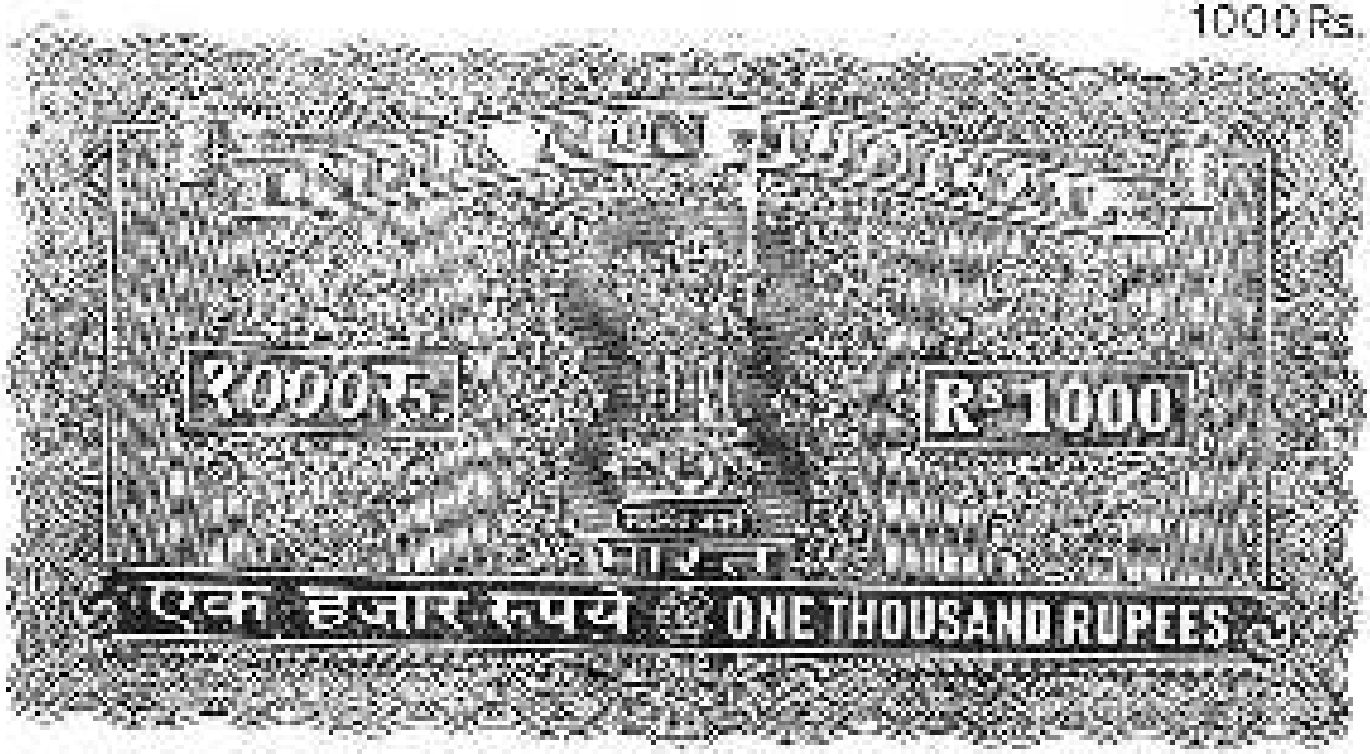

१000 Rs. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

- [illegible] -

परिशिष्ट : विक्रय विलेखकृत सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं० 197, 220, 221 कुल रकबा 1.211 हेक्टेयर का आधा भाग, एवं खसरा संख्या-1563 व 1564 रकबा 0.296 हेक्टेयर, इस प्रकार सम्पूर्ण रकबा 1.35 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुबारकपुर [illegible] परगना -बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं० 193

पूरब : खसरा संख्या 191

पश्चिम : खसरा संख्या-189

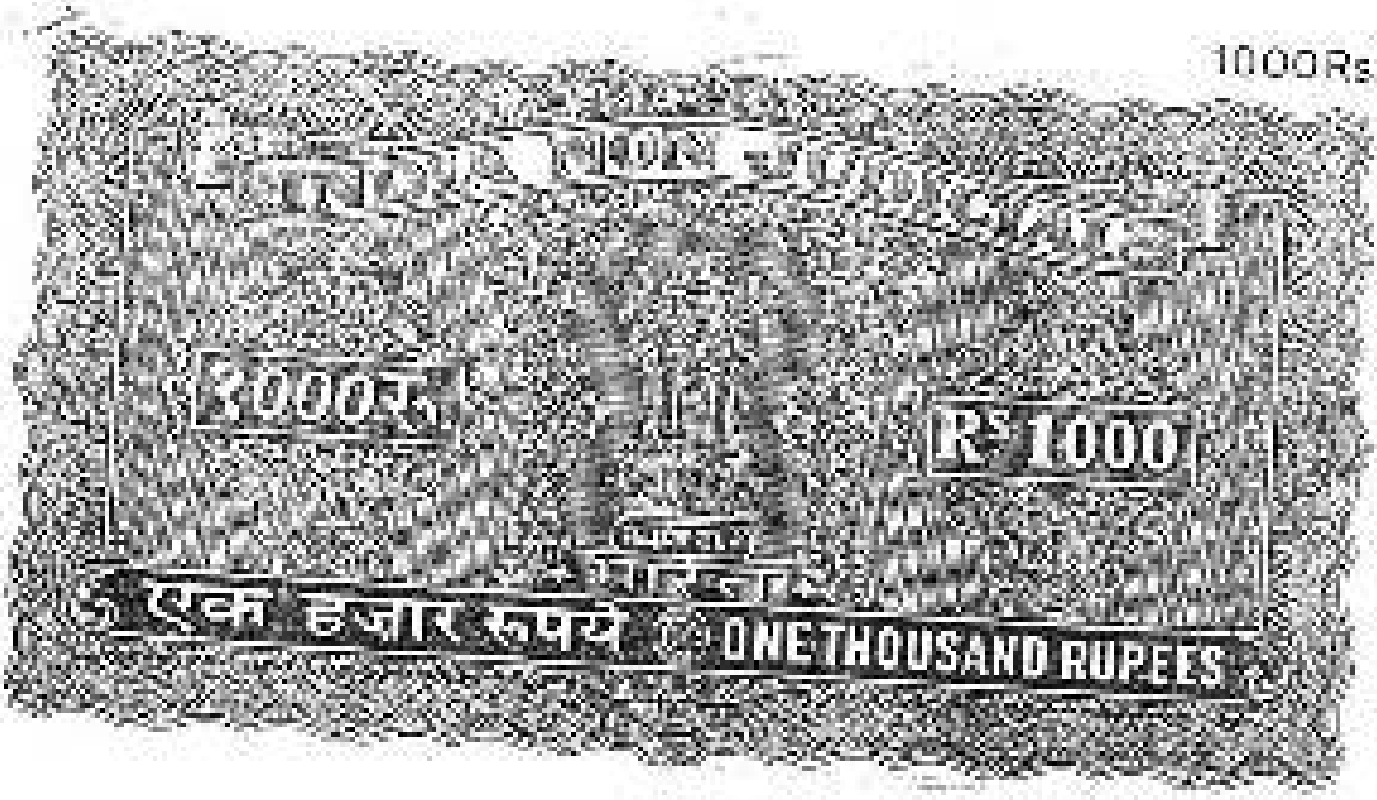

1000Rs

१000रु

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर	: खसरा संख्या-193
दक्षिण	: खसरा संख्या-175
	खसरा नं0 231
पूरब	: खसरा संख्या-229 व रोड
पश्चिम	: [illegible] संख्या रोड
[illegible]	: खसरा संख्या-225 व 228
[illegible]	: खसरा संख्या-219

1000Rs

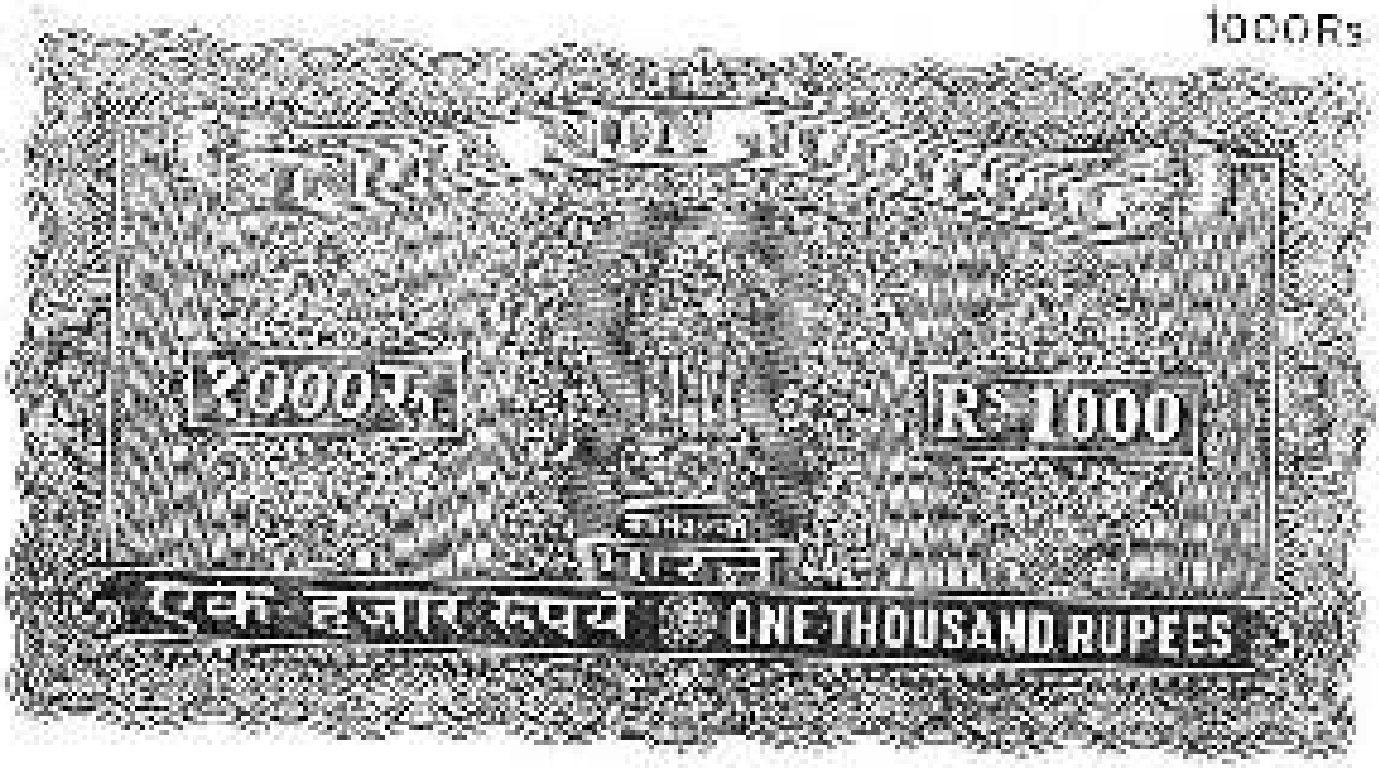

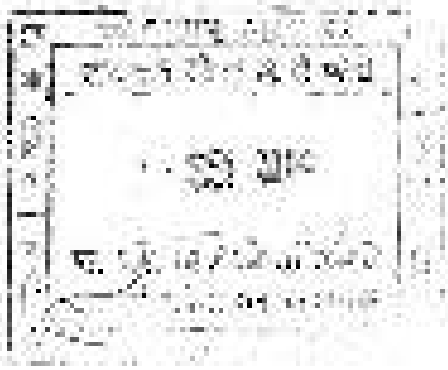

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खसरा नं० 221

पूरब	: खसरा संख्या-219 व 223
पश्चिम	: खसरा संख्या-222
उत्तर	: खसरा संख्या-224
दक्षिण	: खसरा संख्या-182

500Rs.

भारत

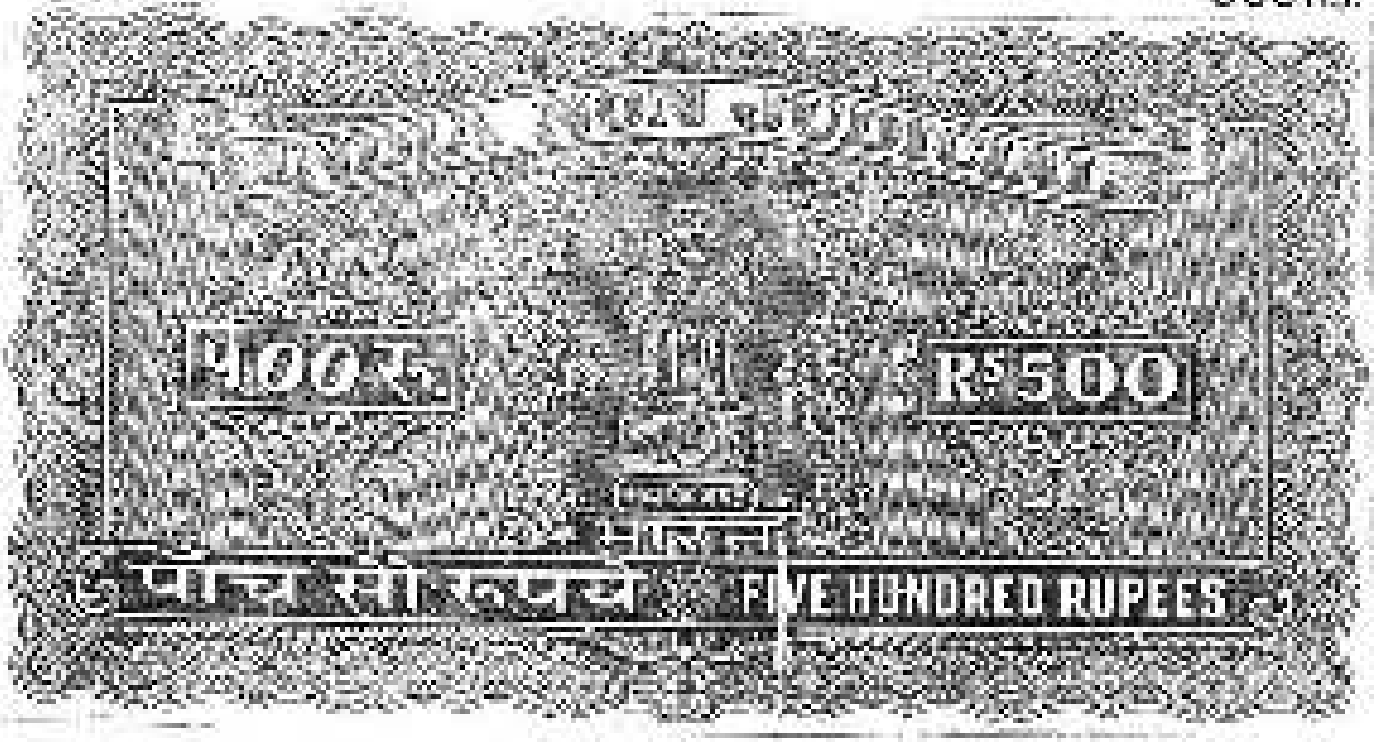

५०० रु.   Rs 500

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

- 23 -

खसरा नं0 159 अ व 159 ब

पूर्व : खसरा संख्या-243 व 153

पश्चिम : खसरा संख्या-158

उत्तर : खसरा संख्या-215

दक्षिण : खसरा संख्या-160

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रू0 21,26,200/- (रूपया इक्कीस लाख छत्तीस हजार मात्र) द्वारा चैक / ड्राफ्ट संख्या- [illegible] दिनांकित 27.09.2004 पंजाब नेशनल बैंक,

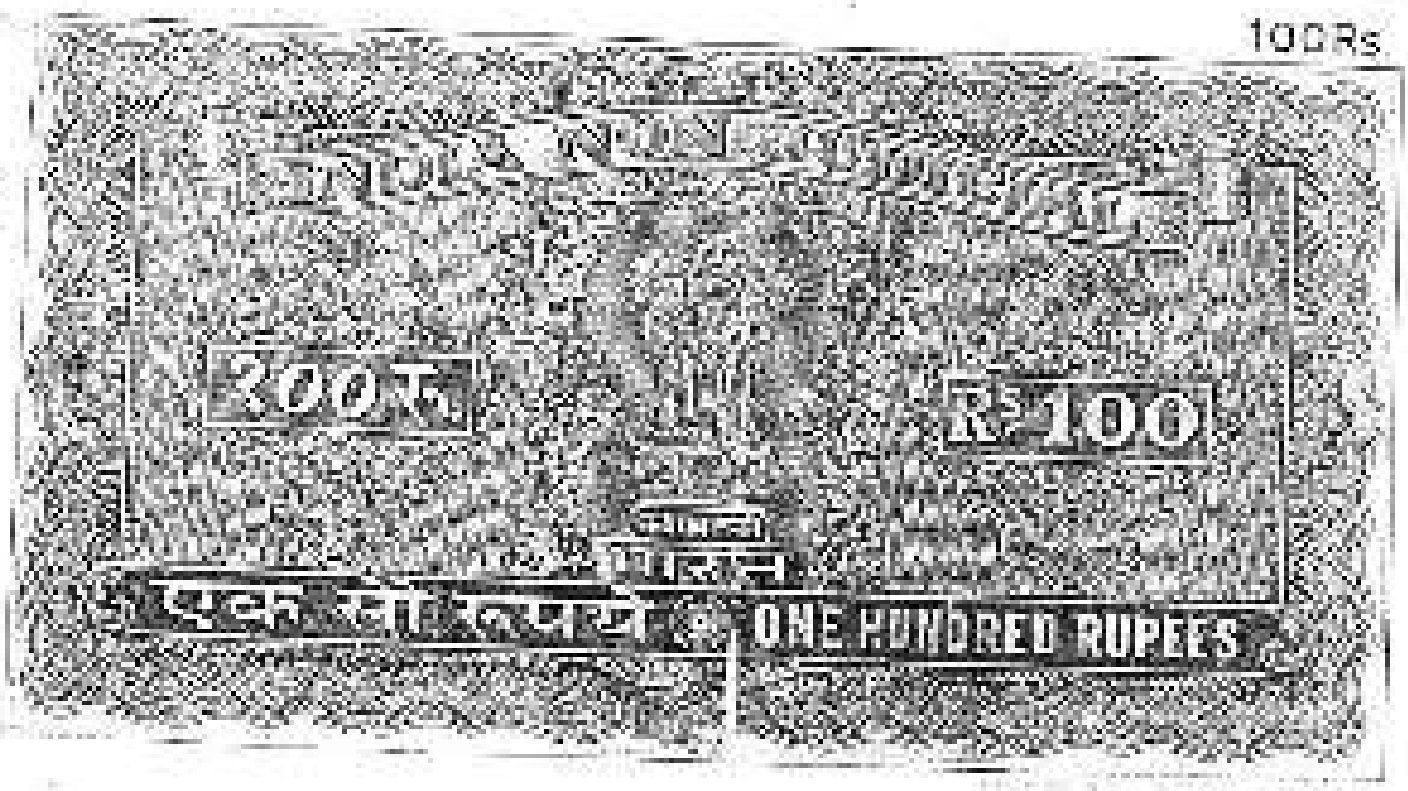

100Rs

१००रु

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

[illegible], करनाक विक्रेता को क्रेता से प्राप्त हुए तथा विक्रय प्राप्ति रसीद स्वीकार करते है।

लखनऊ

दिनांक 27.09.2004

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

पहचान

राम सनेही

मुख्तारनामा

(राजीव सिंह चौहान)

एडवोकेट

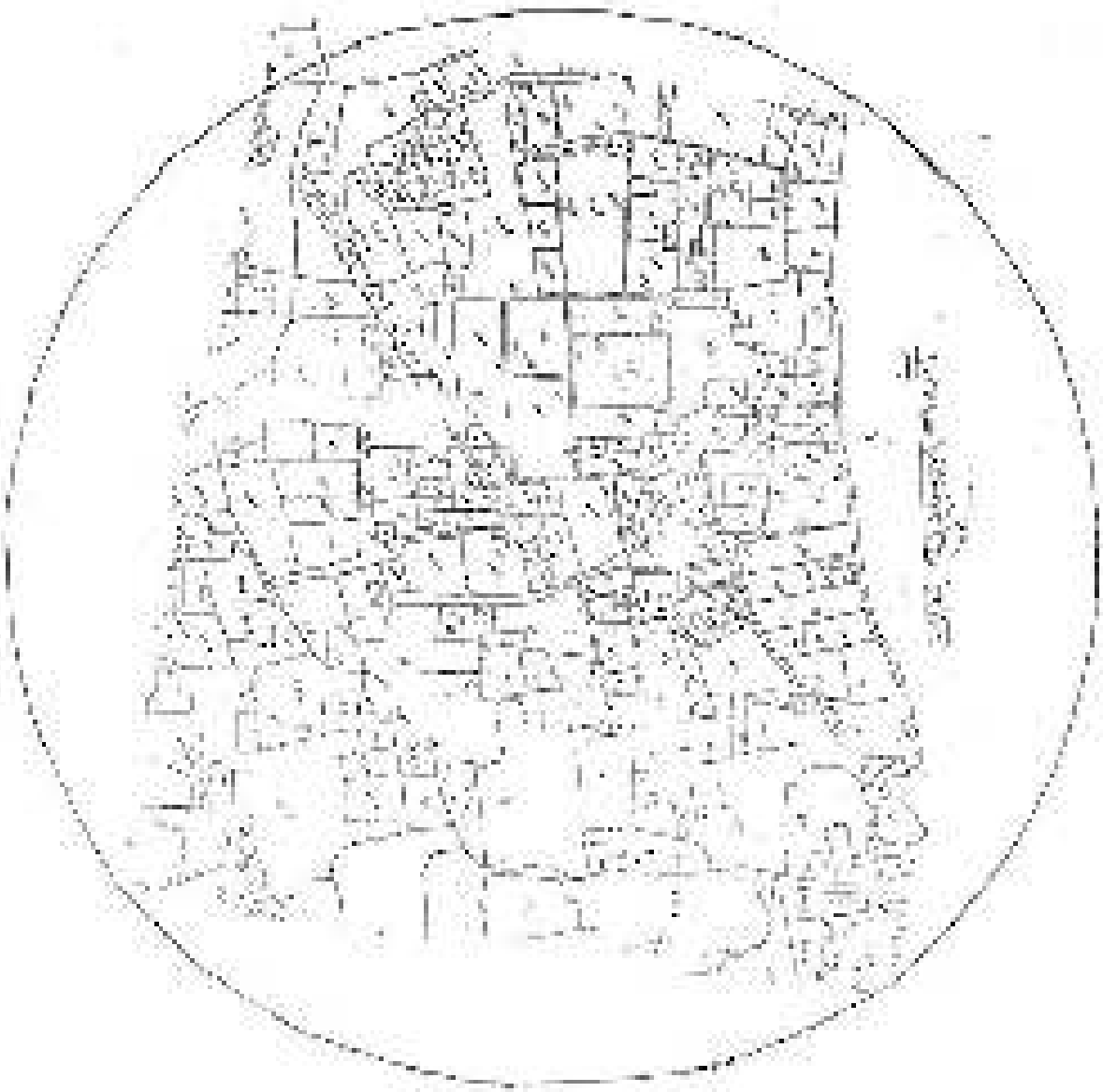

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

निष्पादक/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

निष्पादक/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक/विक्रेता का नाम व पता : --

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

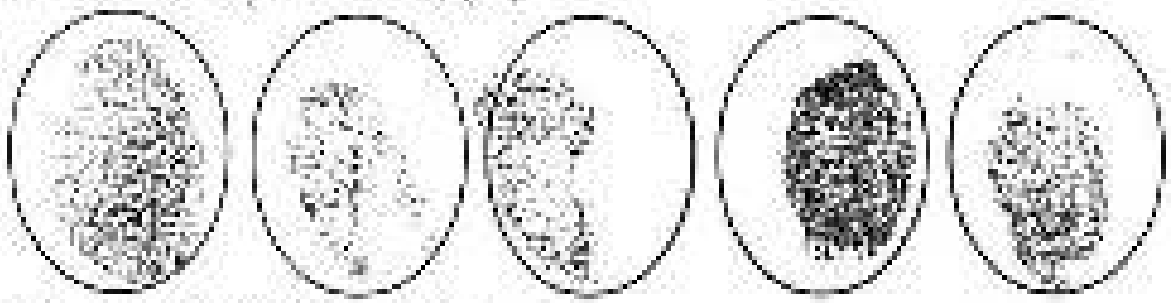

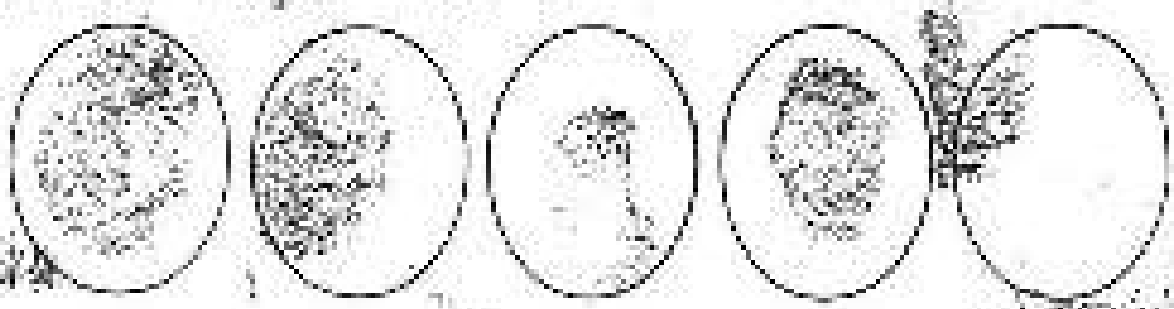

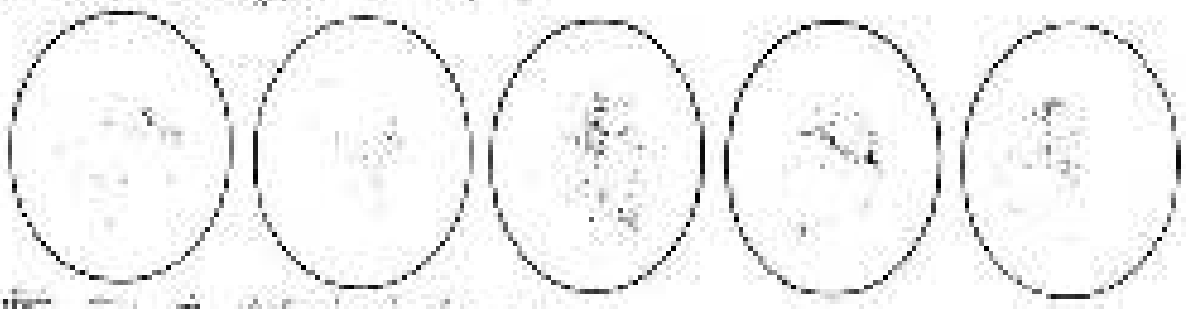

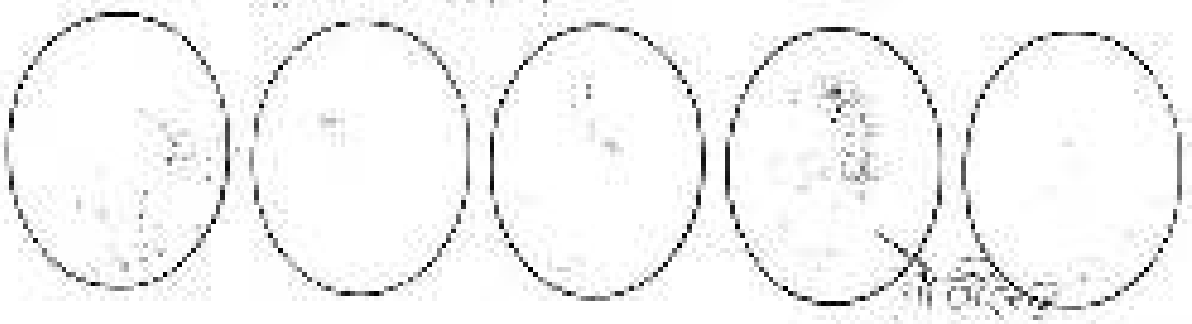

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट

अनुपालक/विक्रेता का नाम व पता ----------

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

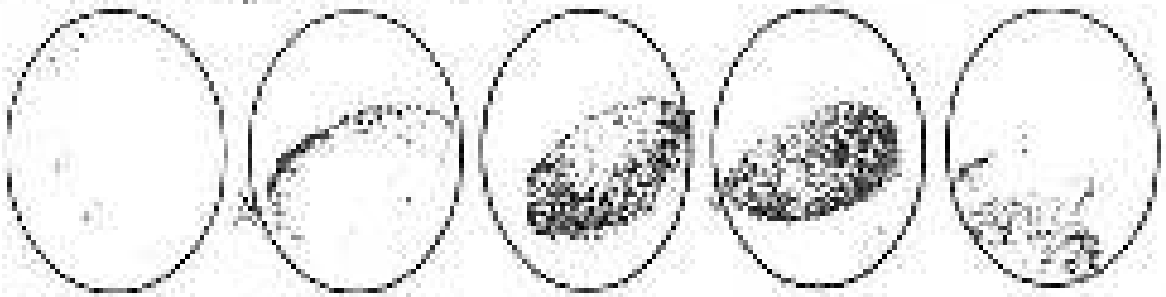

अनुपालक/विक्रेता के हस्ताक्षर

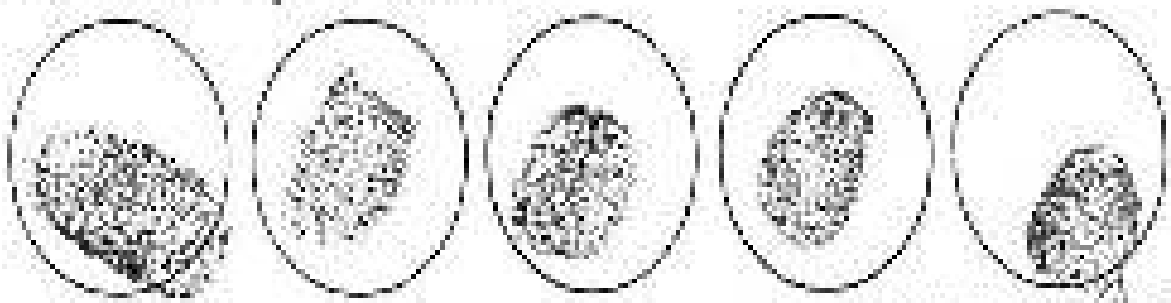

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता ----------

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

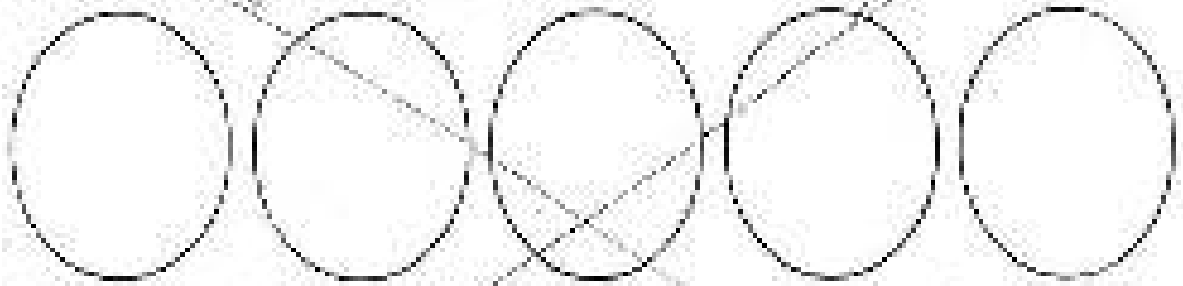

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

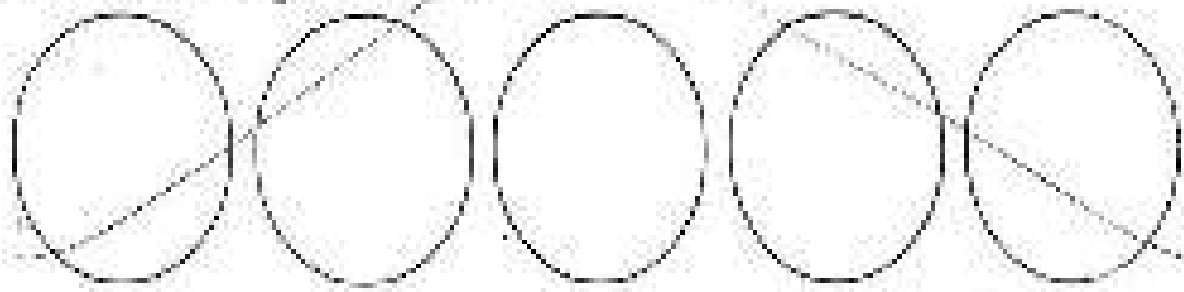

229-04 2623

I

121/160